रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 24 जून, 2004/3 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 24 जून, 2004

संख्या वि० स०-गर्वनमैंट बिल/1-34/2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 (2004 का विधेयक संख्यांक-9) जो आज दिनांक 24 जून, 2004 को

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे0 आर0 गाजटा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

2004 का विधेयक संख्यांक 9.

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : —

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004 है ।

धारा 8-क का अन्तः स्थापन ।

2. हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"8-क. राज्य सरकार की जांच करने की शक्ति .—राज्य सरकार, अपने किन्हीं अधिकारियों या अभिकरण द्वारा, जैसा यह निदेश दे, विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित संस्थाओं के प्रशासन और वित्त प्रबंधन से सम्बद्ध किन्हीं मामलों पर जांच करवा सकेगी और ऐसी जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और राज्य सरकार इसका परीक्षण करने के पश्चात् रिपोर्ट को कुलाधिपति को अग्रेषित करेगी और कुलपति को हटाए जाने सहित किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की भी सिफारिश करेगी यदि इसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो इस अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (6) में अन्तर्विष्ट हैं और कुलाधिपति तदनुसार कार्रवाई कर सकेगा :

परन्तु कुलाधिपति ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व कुलपति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करेगा ।" ।

धारा 9 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (i) का लोप किया जाएगा ।

धारा 11 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) में,—

(क) खण्ड (अ) में, विद्यमान उप-खण्ड (iii) का लोप किया जाएगा ; और

(ख) खण्ड (आ) में, विद्यमान उप-खण्ड (iii) का लोप किया जाएगा ।

धारा 12 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(क) उप-धारा (1) में,—

(i) खण्ड (अ) में, विद्यमान उप-खण्ड (iii) का लोप किया जाएगा ; और

(ii) खण्ड (आ) में, विद्यमान उप-खण्ड (iii) का लोप किया जाएगा ; और

(ख) उप-धारा (2) में, "गैर-सदस्य सचिव" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "सदस्य-सचिव" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

धारा 19 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(क) उप-धारा (1) में, उप-खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ii-क) राज्य सरकार का प्रधान सचिव या सचिव (कृषि) ;

(ii-ख) राज्य सरकार का प्रधान सचिव या सचिव (औद्यानिकी) ;

(ii-ग) रजिस्ट्रार ;"; और

(ख) उप-धारा (2) में, "गैर-सदस्य सचिव" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर, "सदस्य-सचिव" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

धारा 24 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"(3-क). कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कुलपति को निलम्बित कर सकेगा,—

(क) जहां इस धारा की उप-धारा (6) के अधीन कोई जांच अनुध्यात है या लम्बित है; या

(ख) जहां कुलाधिपति की राय में, वह विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों में लगा हुआ है ; या

(ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है ; या

(घ) जहां उसका कार्यालय में बना रहना अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा (अर्थात् दस्तावेजों से आशंकित छेड़छाड़ या गवाहों पर असर डालना) ।

(3-ख). निलम्बित कुलपति छुट्टी संबलम् की रकम के बराबर जीवन-निर्वाह भत्ते का, जिसे कुलपति ने अर्हित किया होता यदि वह अर्ध औसत वेतन या अर्धवेतन पर छुट्टी पर होता, और इसके अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का, यदि वह ऐसे छुट्टी संबलम् के आधार पर अनुज्ञेय है, हकदार होगा :

परन्तु जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो जाती है तो कुलाधिपति जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम में, प्रथम तीन मास की अवधि की पश्चात्वर्ती किसी अवधि के लिए निम्नलिखित रूप में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा :—

(i) जीवन निर्वाह भत्ते की, उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, बढ़ौतरी की जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बढ़ी है जो प्रत्यक्षतः कुलपति को आरोप्य नहीं है ;

(ii) जीवन निर्वाह भत्ते की रकम उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन-निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, घटाई जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में, निलम्बन की अवधि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगे, बढ़ी है जो प्रत्यक्षतः कुलपति को आरोप्य है; और

(iii) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (i) और (ii) के अधीन अनुज्ञेय जीवन निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ी हुई या घटी हुई रकम पर आधारित होगी ।

(3-ग). उप-धारा (3-ख) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि कुलपति यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है ।"; और

(ख) उप-धारा (6) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 8 या धारा 8-क के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में, इस उप-धारा के अधीन कोई और जांच आवश्यक नहीं होगी परन्तु कुलपति को, जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात्, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।" ।

धारा 25 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 25 में, उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(7) कुलपति, आपात स्थिति में जिसमें उन शक्तियों, जो उसमें निहित नहीं हैं, की बाबत तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, कारणों को अभिलिखित

करके ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह आवश्यक समझे और मामले को ऐसे प्राधिकरण, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम हो, के समक्ष इसकी ठीक आगामी बैठक में पुष्टि के लिए रखेगा न कि साठ दिन के पश्चात्, ऐसा न होने पर, उस द्वारा की गई कार्रवाई प्रभावहीन हो जाएगी और यदि कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि ऐसे प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाती है तो वह भी प्रभावहीन हो जाएगी :

परन्तु कुलपति द्वारा ऐसी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग, किसी पोजीशन या समनुदेशन पर कोई नियुक्ति करने या किसी पदधारी को ऐसी पोजीशन या समनुदेशन से हटाए जाने के लिए नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई भी बात कुलपति को किसी भी प्रकार के ऐसे व्यय को, जो बजट में सम्यक् रूप से प्राधिकृत या उपबन्धित न हो, उपगत करने के लिए सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी।"।

धारा 30 का प्रतिस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"30. रजिस्ट्रार (कुल सचिव).—(1) विश्वविद्यालय में एक रजिस्ट्रार (कुल सचिव) होगा जो विश्वविद्यालय के सिनेट, बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

(2) इस अधिनियम की धारा 26 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार उन अधिकारियों में से, जिनका भारतीय प्रशासनिक सेवा में कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल हो या राज्य सरकार के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में कम से कम 9 वर्ष का सेवाकाल हो, राज्य सरकार द्वारा, ऐसा न होने पर, चयन समिति, जैसी इस प्रयोजन के लिए परिनियमों के अधीन गठित की जाए, की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) रजिस्ट्रार (कुल सचिव) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।"।

धारा 39-क का अन्तः-स्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"39-क. पदों इत्यादि का सृजन.—विश्वविद्यालय द्वारा सृजित किसी पद, पोजीशन और समनुदेशन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2004 का 4) की अधिनियमिति से यह आवश्यक समझा गया है कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का 4) को भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए । इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालयों में नवीनतम घटनाक्रमों और प्रशासनिक तथा वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद के आरोपों तथा कुलपति द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग से भी, उपर्युक्त अधिनियम में भी संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान उपलब्ध करवा रही है इसलिए विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों में राज्य सरकार को जांच करवाने हेतु तथा कुलाधिपति को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करने हेतु, सशक्त करना अनिवार्य समझा गया है । राज्य सरकार का कृषि उत्पादन आयुक्त शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद्, सिनेट तथा विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य है किन्तु अब यह पद विद्यमान नहीं है । इसलिए इस अनावश्यक उपबन्ध का वहां से लोप करने तथा "गैर सदस्य-सचिव" शब्दों के स्थान पर "सदस्य-सचिव" शब्द रखने का भी विनिश्चय किया गया है । वर्तमानतः विश्वविद्यालय की वित्त समिति में, राज्य सरकार को सम्यक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार का वित्त सचिव ही एक मात्र प्रतिनिधि है । इसलिए, प्रधान सचिव या सचिव (कृषि) तथा प्रधान सचिव या सचिव (औद्यानिकी) को विश्व-विद्यालय की वित्त समिति के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जाना समुचित समझा गया है । उपरोक्त अधिनियम की धारा 24 विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को कुलपति को नियुक्त करने और हटाने के लिए सशक्त करती है किन्तु कुलपति को निलम्बित करने का कोई उपबन्ध इसमें नहीं है । इसलिए निलम्बन का उपबन्ध किया जाना भी अपेक्षित है । अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध, कुलपति को किसी भी आपात् स्थिति में किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए, जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात् की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, उस प्राधिकारी या निकाय को, जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता, देने के लिए शक्तियां प्रदत्त करते हैं । यह देखा गया है कि ऐसी आपातकालीन शक्तियों का कुलपति द्वारा ऐसे मामलों में, जिसमें कोई आपातस्थिति वैधकर नहीं थी, घोर दुरुपयोग किया गया है जैसे कि नियुक्तियां करना, पदों को उन्नत करना, तदर्थ व्यवस्था करना इत्यादि । इसलिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 25 (7) के उपबन्धों को अधिक स्पष्ट बनाने का विनिश्चय किया गया है ताकि कुलपति आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके ।

रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का मूल कृत्यकारी होने के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अभिलेख, मुद्रा और सम्पत्ति का अभिरक्षक भी है तथा विश्वविद्यालय के परिनियम में यथा उल्लिखित कर्त्तव्यों और दायित्वों से आविस्ट है । विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार इस समय सिनेट, बोर्ड तथा विद्या परिषद् का पदेन सचिव है । इस लिए यह समीचीन समझा गया है कि रजिस्ट्रार इन निकायों का 'पदेन सदस्य-सचिव' हो ।

राज्य सरकार विश्वविद्यालयों द्वारा कृत्यों के निर्बाध निर्वहन के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करवा रही है इसलिए अधिनियम में यह उपबन्ध किया जाना आवश्यक समझा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा सृजित पद/पोजिशन केवल राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होंगे । इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

राज कृष्ण गौड़,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला :
तारीख....., 2004.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 9 विश्वविद्यालय को, रजिस्ट्रार (कुल सचिव) द्वारा शक्तियों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों के अनुपालन के लिए उपबन्ध करने हेतु, परिनियम बनाने के लिए सशक्त करता है । शक्तियों का प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

राज कृष्ण गौड,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख...., जून, 2004.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (*Act No.* 4 *of* 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2004.

Insertion of section 8-A.

2. After section 8 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following section shall be inserted, namely:—

"8-A. *Power of State Government to enquire.*—The State Government may, cause an enquiry to be made by any of its officers or agency, as it may direct on any matters connected with the administration and finances of the University or the institutions maintained by it and the report of such enquiry shall be sent to the State Government and the State Government after examining the same, shall forward the report to the Chancellor and may also recommend any action including removal of Vice-Chancellor, if in its opinion there exist such circumstances as are contained in sub-section (6) of section 24 of this Act and the Chancellor may take action accordingly :

Provided that before taking such action, the Chancellor shall afford reasonable opportunity of being heard to the Vice-Chancellor.".

Amendment of section 9.

3. In section 9 of the principal Act, in sub-section (2), the existing clause (*i*) shall be omitted.

Amendment of section 11.

4. In section 11 of the principal Act, in sub-section (1),—

(*a*) in clause (A), the existing sub-clause (*iii*) shall be omitted; and

(*b*) in clause (B), the existing sub-clause (*iii*) shall be omitted.

Amendment of section 12.

5. In section 12 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1),—

(*i*) in clause (A), the existing sub-clause (*iii*) shall be omitted; and

(*ii*) in clause (B), the existing sub-clause (*iii*) shall be omitted ; and

(*b*) in sub-section (2), for the words and sign "non-member Secretary", the words and sign "Member-Secretary" shall be substituted.

Amendment of section 19.

6. In section 19 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), after sub-clause (*ii*), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(*ii-a*) Principal Secretary or Secretary (Agriculture) to the State Government ;

(*ii-b*) Principal Secretary or Secretary (Horticulture) to the State Government ;

(*ii-c*) Registrar ;"; and

(*b*) in sub-section (2), for the words and sign "non-member Secretary", the words and sign "Member-Secretary" shall be substituted.

Amendment of section 24.

7. In section 24 of the principal Act,—

(*a*) after sub-section (3), the following sub-sections shall be added, namely :—

(3-*a*). The Chancellor, by general or special order, may place the Vice-Chancellor under suspension,—

(*a*) where an enquiry under sub-section (6) of this section is contemplated or is pending ; or

(*b*) where, in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University ; or

(*c*) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial ; or

(*d*) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (*e.g.* apprehended tempering with documents or to influence witnesses).

(3-*b*). The Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary :

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows :—

(*i*) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the Vice-Chancellor ;

(*ii*) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Vice-Chancellor ; and

(*iii*) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clauses (*i*) and (*ii*).

(3-*c*). No payment under sub-section (3-*b*) shall be made unless the Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation." ; and

(*b*) at the end of sub-section (*6*), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 8 or section 8-A of this Act, as the case may be, no further enquiry shall be necessary under this sub-section but the Vice-Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.".

Amendment of section 25.

8. In section 25 of the principal Act, for sub-section (7), the following shall be substituted, namely :—

"(7) In case of emergency warranting immediate action to be taken, in respect of powers not vested in him, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary after recording reason in writing and shall place the matter before the authority, competent to exercise such powers, for confirmation in its next following meeting but not later than sixty days, failing which the action taken by him shall cease to have any effect and if the action taken by the Vice-Chancellor is not confirmed by such authority, the same shall also cease to have any effect :

Provided that such emergency powers shall not be exercised by the Vice-Chancellor for making any appointment to any position or assignment or removal of any incumbent from such position or assignment :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget.".

Substitution of section 30.

9. For section 30 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"30. *Registrar.*—(1) There shall be a Registrar in the University who shall be *ex-officio* Member-Secretary of the Senate, Board and Academic Council of the University.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of this Act, the Registrar shall be appointed by the State Government from amongst the officers who have put in at least five years service in the Indian Administrative Services or at least nine years services in Himachal Pradesh Administrative Services, under the State Government, failing which by the Board on the recommendations of the selection committee, as may be constituted for the purpose under the Statutes.

(3) The Registrar shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.".

Insertion of section 39-A.

10. After section 39 of the principal Act, the following shall be inserted, namely :—

"39-A. *Creation of posts etc.*—No post, position and assignment created by the University shall have any effect unless approved by the State Government.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With the enactment of the Himachal Pradesh University (Amendment) Act, 2003 (Act No. 4 of 2004), it has been considered necessary that the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987) should also be suitably amended. In addition to this, the latest developments in the Universities in Himachal Pradesh and allegations of administrative and financial irregularities, corruption, nepotism and abuse of powers by the Vice-Chancellors have also warranted amendments in the Act *ibid*.

The State Government is providing grant-in-aid to the Universities, hence it is considered essential to empower the State Government to order enquiry into the affairs of the Universities and recommend any action to the Chancellor. The Agriculture Production Commissioner to the State Government is the member of the Council for Education and Research, the Senate and the Board of Management of the Universities but now this post is not in existence. Hence it has been decided to delete this redundant provision therefrom and also to substitute the words "non-member Secretary" with the words "Member-Secretary". At present there is no due representation of the State Government in the Finance Committee of the University and Finance Secretary to the Government of Himachal Pradesh is the only representative. Therefore, the Principal Secretary or Secretary Agriculture and Principal Secretary or Secretary Horticulture are considered appropriate to be included as the members of the Finance Committee of the University. Section 24 of the Act *ibid* empowers the Chancellor of the University to appoint and remove the Vice-Chancellor, but there is no provision of suspension of Vice-Chancellor. Thus the provision of suspension is also required to be made. The existing provisions of the Act confer powers upon the Vice-Chancellor to take any action in any emergency as he deems neeessary and at the earliest opportunity thereafter report the action taken to such authority or body as would in the ordinary course have dealt with the matter. It has been observed that these emergency powers have grossly been misused by the Vice-Chancellor for the matter not warranting any emergency *e.g.* making appointments, upgrading posts, making *ad hoc* arrangement etc. Hence, it has been decided to make the provision of section 25(7) of the Act *ibid* more clear so that Vice-Chancellor could not misuse emergency powers.

The Registrar happens to be the key functionary of the University and also the custodian of record, seal and properties of the University and is charged with the duties and responsibilities as laid down in the Statutes of the University. The Registrar of the University at present is *ex-officio* Secretary of the Senate, the Board and the Academic Council. It is therefore, considered expedient that the Registrar should be '*ex-officio* Member-Secretary' of these bodies.

Since the State Government is providing Grand-in-Aid for the smooth functioning of the Universities, hence, it is felt necessary to make a provision in the Act that any post/position created by the University shall take effect only after the same has been approved by the State Government. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

RAJ KRISHAN GAUR,
Minister-in-charge.

SHIMLA :
Dated.....June, 2004.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 9 of the Bill empowers the University to make Statutes to provide for the powers and duties to be performed by the Registrar. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2004

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

RAJ KRISHAN GAUR,
Minister-in-charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :
The.....June, 2004.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित